न्यायालय - न्यायिक मजिस्ट्रेट, धौलपुर, राज०

पीठासीन अधिकारी :– **सुमन मीणा, आर.जे.एस.**

निय.फौज. प्र.सं. :– **311/2017**

सी०आई०एस० नं. :– **261/2026**

प्र.सू.रिपोर्ट सं० :– **49/2015, थाना सदर, धौलपुर**

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी, धौलपुर

---अभियोगी

बनाम

1. **रामदीन पुत्र श्री कप्तानसिंह, उम्र 20 साल, निवासी खानपुर मीणा थाना बाडी, जिला धौलपुर।**
2. **देवा उर्फ देवेन्द्र पुत्र श्री रामप्रकाश, उम्र 21 साल, निवासी भौलापुरा थाना बाडी, जिला धौलपुर।**

---अभियुक्तगण

उपस्थितः-

01. **राज्य की ओर से** - विद्वान सहायक लोक अभियोजन अधिकारी।
02. **अभियुक्तगण की ओर से** - विद्वान अधिवक्ता श्री शरीफ खान।

अपराध की दिनांक	03.03.2015	**साक्ष्य प्रारंभ होने की तिथि**	21.11.2015
प्र.सू.रि. की दिनांक	03.03.2015	**बहस अंतिम की दिनांक**	12.03.2026
आरोप-पत्र पेश करने की दिनांक	20.07.2015	**निर्णय की दिनांक**	12.03.2026
आरोप विरचित करने की दिनांक	21.11.2015	**दण्डादेश की दिनांक (यदि हो तो)**	-

फार्म "बी"

अभियुक्त का विवरणः-

क्र. सं.	अभियुक्तगण का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत की दिनांक	अपराध धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध
1.	रामदीन	02.05.2015	11.05.2015	379 भा.दं.सं.	दोषमुक्त
2.	देवा उर्फ देवेन्द्र	04.05.2015	03.06.2015	379 भा.दं.सं.	दोषमुक्त

"Authenticate Document"

फार्म "सी"

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के साक्षीगण की सूचीः-

(अ) अभियोजन साक्षीः-

क्र.सं.	नाम	साक्ष्य की प्रकृति
1.	प्रतिभा तौमर	मुस्तगीस व धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी
2.	बालकिशन यादव	धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी
3.	मुन्ना	धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी
4.	नेहा जैन	नक्शा मौका साक्षी
5.	निपूर बसवाल	धारा 161 सी.आर.पी.सी. साक्षी
6.	राजकुमार	फर्द गिरफ्तारी साक्षी
7.	श्रीमती राममाया	नक्शा मौका साक्षी
8.	ठाकुरदास	तफ्तीशकर्ता साक्षी
9.	जयदेव सिंह	फर्द गिरफ्तारी, तस्दीक नकशा, बरामदगी साक्षी

(ब) प्रतिरक्षा साक्षीः- निल।

(स) न्यायालय साक्षीः- निल।

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालय के दस्तावेजात की सूचीः-

(अ) अभियोजन दस्तावेजातः-

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
1.	प्रदर्श पी.01	तहरीरी रिपोर्ट
2.	प्रदर्श पी.02	चाक एफ आई आर
3.	प्रदर्श पी.03	नक्शा मौका
4.	प्रदर्श पी.04	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुल्जिम रामदीन
5.	प्रदर्श पी.05	फर्द गिरफ्तारी व जामा तलाशी मुल्जिम देवा
6.	प्रदर्श पी.06	फर्द इत्तला मुल्जिम रामदीन
7.	प्रदर्श पी.07	तस्दीक नक्शा मौका दिनांकित 03.05.15
8.	प्रदर्श पी.08	फर्द इत्तला मुल्जिम रामदीन
9.	प्रदर्श पी.09	फर्द बरामदगी दिनांकित 03.05.15
10.	प्रदर्श पी.10	फर्द बरामदगी नक्शा मौका
11.	प्रदर्श पी.11	फर्द इत्तला मुल्जिम देवा उर्फ देवेन्द्र
12.	प्रदर्श पी.12	तस्दीक नक्शा मौका दिनांकित 04.05.15
13.	प्रदर्श पी.13	फर्द इत्तला मुल्जिम देवा उर्फ देवेन्द्र
14.	प्रदर्श पी.14	फर्द बरामदगी दिनांकित 04.05.15

"Authenticate Document"

(ब) प्रतिरक्षा दस्तावेजातः- निल।

(स) न्यायालय दस्तावेजातः- निल।

(द) आर्टिकल की सूचीः- निल।

अपराध अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.संहिता।

-- निर्णय --

दिनांकः- 12.03.2026

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 28.02.2015 को परिवादी प्रधानाचार्य रा.उ.मा.वि. पुरानी छावनी, धौलपुर की ओर से एक तहरीरी रिपोर्ट पुलिस थाना सदर, धौलपुर में इस आशय की पेश कर दर्ज करवायी कि दिनांक 27.02.2015 को विद्यालय समयोपरांत समस्त कमरों एवं मैन गेट पर ताला लगाकर बंद करके गये थे तथा दिनांक 28.02.2015 को विद्यालय की अध्यापिकाएं उपचारात्मक शिक्षण हेतु प्रातः 08.30 ए.एम. पर विद्यालय आयी तथा मैन गेट का ताला खोलकर कार्यालय के समक्ष आयी, तो उन्होंने देखा कि कमरों के ताले टूटे हुए एवं सामान कमरों में बिखरा पडा हआ है तथा अज्ञात चोर सामान की चोरी कर ले गये है, उनके द्वारा दूरभाष पर उक्त सूचना देने पर समस्त स्टाफ पहुंचा और पाया कि अज्ञात चोर विद्यालय का सामान-सीलिंग पंखा, सोलर प्लेट, खाने के बर्तन, कंप्यूटर से संबंधित सामान, विज्ञान किट का सामान, टीएलएम सामग्री एवं पोषाहार इत्यादि चुराकर ले गये.....इत्यादि तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना सदर, धौलपुर द्वारा मुकदमा संख्या 49/2015 अन्तर्गत धारा 379 भा.दं.संहिता में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। बाद अनुसंधान, पुलिस थाना सदर, धौलपुर द्वारा अभियुक्तगण रामदीन व देवा उर्फ देवेन्द्र के विरूद्ध धारा 379 भा.दं.संहिता में आरोप-पत्र पेश किया गया, जिस पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त धाराओं के अपराध के आरोपों में न्यायालय द्वारा प्रंसज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अन्वीक्षा प्रारंभ की गयी।

2. उक्त अभियुक्तगण को धारा 379 भा.दं.संहिता के अपराध के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये, तो अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 09 गवाहों को परिक्षित करवाया है तथा कुल 14 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया है।

4. अभियोजन की साक्ष्य उपरांत अभियुक्तगण के बयान मुलजिम अंतर्गत धारा 313 द.प्र.संहिता लिये गये, तो अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा साक्ष्य सफाई पेश नहीं की।

5. बहस अन्तिम उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता, अभियुक्तगण ने तर्क दिया है कि प्रकरण में अभियुक्तगण को गलत फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य करायी गयी है, उसमें किसी भी गवाह के द्वारा तहरीरी रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की पुष्टि

"Authenticate Document"

नहीं की गयी है। प्रकरण के मुख्य गवाहों की साक्ष्य में विरोधाभास है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध दोषसिद्धि की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया।

6. इसके विपरीत दौराने बहस विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी ने कथन किया कि गवाहान द्वारा अपने सशपथ बयानों में तहरीरी रिपोर्ट की ताईद की है तथा अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करने बाबत् कथन किये है एवं गवाहान की साक्ष्य में विरोधाभास नहीं है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध घोषित किये जाने का निवेदन किया गया।

7. उभय पक्ष द्वारा दिये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया गया तथा सुसंगत विधि का अध्ययन किया गया।

8. प्रकरण में अवधारणीय बिन्दु यह है किः-

1. ***क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 27.02.2015 को विद्यालय समय समाप्ति से 28.02.2015 को सुबह आठ बजे के बीच पुरानी छावनी स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के कमरों के ताले तोडकर बेईमानीपूर्वक आशय से विद्यालय का सामान, सिलिंग, पंखा, सोलर प्लेट, खाने के बर्तन, कम्प्यूटर से संबंध्तिा सामान, विज्ञान किट का सामान, टीएलएम इत्यादि सामान को विद्यालय से हटाकर चोर कारित की ?***
2. ***यदि ऐसा है तो इसके लिए उचित दण्ड क्या होगा ?***

9. अभियोजन पक्ष द्वारा अपने प्रकरण के समर्थन में गवाहान को पेश कर परीक्षित कराया गया है। जिसमें सर्वप्रथम परीक्षित गवाह पी.ड.01 प्रतिभा तौमर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.02.15 को वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी में व्याख्यता के पद पर पदस्थापित थी। दिनांक 28.2.15 को प्रधानाचार्य बोर्ड परीक्षा की मीटिंग मे गयी थी। उनका कार्यभार उसके पास था। वह जब समय 8:30 एएम पर स्कूल पहूंची, क्योंकी उसके साथ की अध्यापिकाओं ने सूचना दी थी कि स्कूल के ताले टूटे हुए आप स्कूल आ जाओ इसलिए वह स्कूल जल्दी पहुंची। कमरों के ताले टूट पडे थे और सामान बिखरा पडा था। उसने चैक किया, तो सीलिग फैन, सोलर प्लेट, पोषाहार और कम्प्यूटर से संबंधित सामान टीएलएम सामान व स्कूल का अन्य सामान कोई चोरी कर के ले गया था। जिसकी सूचना उसने उच्च अधिकारी को दे दी थी व घटना की रिपोर्ट थाना सदर में दर्ज करवायी। तहरीर रिपोर्ट प्रदर्श पी.01, चाक एफआईआर प्रदर्श पी.02, नक्शा मौका घटना स्थल प्रदर्श पी.03 है, तीनो पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने स्वीकार किया कि वह सबसे पहले स्कूल नहीं पहुंची थी। उससे पहले दिनांक 28.02.15 को स्कूल में नुपूर, आरती स्कूल पहुंची, उन्होंने उसे चोरी होने की सूचना दी थी। उसे आज ध्यान नहीं है कि दिनांक 28.2.15 को प्रधानाचार्य के पद पर पदस्थापित थी

"Authenticate Document"

ऐसा कोई दस्तावेज उसने पत्रावली में शमिल किया हो अथवा पुलिस को दिया हो। उस दिन उसके पास प्रधानाचार्य का कार्यभार होने बाबत् दस्तावेज पत्रावली में शमिल नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त चोरी किन व्यक्तियों ने की उसकी उसे आज तक जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी में नहीं है कि पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया हो और किन लोगों से किया हो। पुलिस ने उसका बयान लिया हो तो आज उसे ध्यान नहीं है। घटना के दूसरे दिन प्रधानाचार्य सरिता मेडम ने कार्यभार संभाल लिया था उक्त प्रकरण के आगे की कार्यवाही उन्होंने स्वयं की थी, क्या क्या कार्यवाही की आज उसकी जानकारी में नहीं है। चोरी गया सामान किस कंपनी का था, क्या कीमत का था, यह उसकी जानकारी में नहीं है। उक्त सामान उसने नहीं खरीदा था। चोरी गया हुआ सामान उसकी देखरेख में नहीं रहता।

10. गवाह पी.ड.02 बालकिशन यादव ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.02.15 को वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी में यूडीसी के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 28.2.15 को प्रधानाचार्य बोर्ड परीक्षा की मीटिंग मे गयी थी। उनका कार्यभार प्रतिभा मेडम के पास था। वह दिनांक 28. 02.15 को स्कूल पहुंचा, तो उसने देखा कि कमरों के ताले टूट पड़े थे और सामान बिखरा पडा था। घटना की सूचना उस स्कूल स्टाफ ने घर पर दी थी। उसने चैक किया, तो सीलिग फैन, सोलर प्लेट, पोषाहार और कम्प्यूटर से संबंधित सामान टीएलएम सामान व स्कूल का अन्य सामान कोई चोरी कर के ले गया था। जिसकी सूचना उसने उच्च अधिकारी को दे दी थी। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि दिनांक 28.2.2015 उसके स्कूल पहुंचने से पहले अन्य कर्मचारी स्कूल पहुंच गये थे। वह स्कूल में 8:45 पर पहुंच गया था। गवाह ने स्वीकार किया कि चोरी किया हुआ सामान उसके चार्ज में नहीं था। सामान किस कंपनी का था, यह उसकी जानकारी में नहीं है। उक्त सामान को चोरी करते हुए उसने किसी को नहीं देखा। किसने चोरी की आज तक उसकी जानकारी में नहीं है। किसी मुल्जिम को नाम व शक्ल से नहीं जानता है। उक्त सामान को पुलिस ने कहां से बरामद किया यह उसकी जानकारी में नहीं है।

11. गवाह पी.ड.03 मुन्ना ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 27.02.15 को वह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी छावनी में बाबू के पद पर पदस्थापित था। दिनांक 28.2.15 को प्रधानाचार्य बोर्ड परीक्षा की मीटिंग मे गयी थी उनका कार्यभार प्रतिभा मेडम के पास था। वह दिनांक 28.02.15 को स्कूल पहुंचा, तो उसने देखा कि कमरों के ताले टूट पड़े थे और सामान बिखरा पडा था। घटना की सूचना उसे स्कूल स्टाफ ने घर पर दी थी। उसने चैक किया, तो सीलिग फैन सोलर प्लेट पोषाहार और कम्प्यूटर से संबंधित सामान टीएलएम सामान व स्कूल का अन्य सामान कोई चोरी कर के ले गया था। जिसकी सूचना मैने उच्च अधिकारी को दे दी थी। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि दिनांक 28.2.2015 उसके स्कूल पहुंचने से पहले अन्य कर्मचारी स्कूल पहुंच गये थे। वह स्कूल में 9:00 एएम पर पहुंच गया था। स्कूल के ताले

"Authenticate Document"

किसने तोडे यह उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि चोरी किया हुआ सामान उसके चार्ज में नहीं था। सामान किस कंपनी का था यह उसकी जानकारी में नहीं है। उक्त सामान को चोरी करते हुए उसने किसी को नहीं देखा। किसने चोरी की आज तक उसकी जानकारी में नहीं है। किसी मुल्जिम को नाम व शक्ल से नहीं जानता है। उक्त सामान को पुलिस ने कहां से बरामद किया यह उसकी जानकारी में नहीं है।

12. गवाह पी.ड.04 नेहा जैन ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि पुलिस ने उसके सामने स्कूल मे चोरी के बाबत् नक्शा बनाया था जो प्रदर्श पी.03 पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि वह राममाया व प्रतिभा मैडम के साथ थाने नहीं गई थी। वह चौकी पर नहीं गई थी। उसे आज याद नहीं है कि उसके पुलिस वालो ने कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे या नहीं उसको उसने पढा था या नहीं उसे ध्यान नहीं है। हस्ताक्षर करवाने वाला कौन व्यक्ति था उसकी जानकारी में नहीं है। उसने हस्ताक्षर कब और किस दिन किये उसकी जानकारी में नहीं है।

13. गवाह पी.ड.05 निपूर ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 10 साल पहले की बात है। वह राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पुरानी छावनी में अध्यापिका के पद पर पदस्थापित थी। उस दिन विधालय समय पर में व अन्य स्टाफ स्कूल पहुँचे, तो स्कूल के कमरों का ताला टूटा हुआ था। उसने कमरों में जाकर सामान देखा, तो पंखे वगैरहा चोरी हो गए थे। जिन्हें कोई उनके स्कूल आने से पहले चुरा ले गया था। सामान को स्कूल के आस-पास तलाश किया नहीं मिला। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने स्वीकार किया कि जो सामान चोरी हुआ था उसकी देखरेख में नहीं था। उक्त सामान उसने नहीं खरीदा उसका काम तो बच्चों को पढाना है। गवाह ने स्वीकार किया कि चोरी किस दिन व किस दिनांक को और कितने बजे हुई उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त सामान को कौन चुराकर ले गए उसकी जानकारी में आज तक नहीं है।

14. गवाह पी.ड.06 राजकुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.05.2015 को वह चौकी पंचगांव पर कानि. के पद पर पदस्थातिप था। उस दिन श्री ठाकुरदास हैड कानि. ने मुकदमा नं. 49/2015 थाना सदर धारा 379 भा.द.सं. में रामदीन को जरिये फर्द जयेदव कानि. के सामने गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तार प्रदर्श पी.04 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 04.05.2015 को मुल्जिम देवा उर्फ देवेन्द्र को हैड़ साहब ने उसे व जीतेन्द्र के सामने जेल धौलपुर से जरिये फर्द गिरफ्तार किया था। फर्द गिरफ्तार प्रदर्श पी.05 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि देवा धौलपुर जेल में किस प्रकरण में बंद था, उसकी जानकारी में नहीं है। रामदीन उसके पास किसके साथ आया, उसकी जानकारी में नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने मुल्जिम की गिरफ्तारी का कोई नक्शा मौका नहीं बनाया।

"Authenticate Document"

मुल्जिम की गिरफ्तारी की सूचना उसके भाईयों को सूचना दी थी। सूचना उसने नहीं दी थी। गवाह ने स्वीकार किया कि मुलजिमों की गिरफ्तारी में कोई भी स्वतंत्र गवाह नहीं है। गिरफ्तारी की सूचना उसके सामने दी थी किस प्रकार दी थी यह उसे ध्यान नहीं है। प्रदर्श पी.04 व 05 में मुलजिमों की सूचना देने वाले भाईयों का नाम लिखा था। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी.04 में उसके भाई का नाम दौजी लिखा हुआ है। गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया कि प्रदर्श पी.04 व 05 पर हस्ताक्षर आईओ के कहने पर कर दिये हों। गिरफ्तार प्रदर्श पी.05 जेल के अंदर ही बनाई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी.05 पर जेल के किसी भी कर्मचारी या अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है।

15. गवाह पी.ड.07 श्रीमती राममाया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि आज से करीब 11 साल पहले पुलिस ने उसके सामने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छावनी का नक्शा मौका बनाया था। नक्शामौका प्रदर्श पी.03 पर ई से एफ स्थान पर उसके हस्ताक्षर है। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि वह थाने पर गई थी। उसने प्रदर्शा पी.03 पर सदर थाने पर हस्ताक्षर किये थे।

16. गवाह पी.ड.08 ठाकुरदास ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.03.2015 को थाना सदर चौकी पचगांव पर हैड कानि. के पद पर पदस्थापित था। उस दिन मुकदमा नंबर 49/2015 थाना सदर की पत्रावली अनुसंधान हेतु उसे एस.एच.ओ. द्वारा दी गई थी। दौराने अनुसंधान उसने गवाहान प्रतिभा, मुन्ना खां, बालकिशन, नुपुर आदि के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये। दिनांक 09.03.2015 को घटना स्थल का नक्शामौका कसीद किया, जो प्रदर्श पी.03 पर जी से एच स्थान पर उसके हस्ताक्षर है एवं आई से जे हालात नक्शा मौका अंकित है। दौराने अनुसंधान मुल्जिम रामदीन व मुल्जिम देवा उर्फ देवेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम रामदीन प्रदर्श पी.04 पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर, ई से एफ मुल्जिम रामदीन के हस्ताक्षर, जी से एच कानि. जयदेव सिंह के हस्ताक्षर है। फर्द गिरफ्तारी मुल्जिम देवा प्रदर्श पी.05 पर सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर, ई से एफ मुल्जिम देवा उर्फ देवेन्द्र के हस्ताक्षर, जी से एच कानि. जीतेन्द्र के हस्ताक्षर है। मुल्जिम रामदीन द्वारा अनुसंधान अधिकारी को स्वेच्छा से ईत्तला दी कि वह उस स्थान को बता सकता है। जहां से उसने चोरी की है। फर्द ईत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी.06 पर ए से बी स्थान पर मुल्जिम की ईत्तला व सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर एवं ई से एफ मुल्जिम रामदीन के हस्ताक्षर है। मुल्जिम रामदीन द्वारा दी गई ईत्तला के अनुसरण में वह, कानि. जयदेव, जीतेन्द्र मय मुल्जिम रामदीन के पुरानी छावनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां पर मुल्जिम की निशादेही से फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी.07 बनाया गया, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी स्थान पर मुल्जिम रामदीन के, ई से एफ व जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर है एवं आई से जे हालात नक्शा मौका अंकित है। उसी दिन मुल्जिम रामदीन द्वारा उसको स्वेच्छा से ईत्तला दी कि उसने स्कूल से जो पंखा चोरी किया

"Authenticate Document"

था वह उसने अपने घर पर रख रखा है जिसे वह चलकर बरामद करा सकता है। फर्द ईत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी.08 पर ए से बी स्थान पर मुल्जिम की ईत्तला व सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है एवं ई से एफ मुल्जिम रामदीन के हस्ताक्षर है। मुल्जिम रामदीन द्वारा दी गई ईत्तला के अनुसरण में वह, कानि. जयदेव, जीतेन्द्र मय मुल्जिम रामदीन के उसके गांव खानपुर मीणा में उसके घर पहुंचे, जहां पर मुल्जिम ने आगे-आगे चलकर अपने रिहायशी मकान के कमरे से एक सीलिंग फैन निकालकर अनुसंधान अधिकारी को बरामद करवाया जो प्रकरण का माल वजह सबूत होने के कारण मौके पर ही जरिये फर्द बरामदगी प्रदर्श पी.09 जब्त किया गया, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी स्थान पर मुल्जिम रामदीन के, जी से एच गवाह जीतेन्द्र, ई से एफ जयदेव के हस्ताक्षर है। फर्द नक्शा मौका बरामदगी स्थल प्रदर्श पी.10 पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी स्थान पर मुल्जिम रामदीन के, जी से एच गवाह जीतेन्द्र, ई से एफ जयदेव के हस्ताक्षर है। मुल्जिम देवा उर्फ देवेन्द्र द्वारा उसको स्वेच्छा से ईत्तला दी कि वह उस स्थान को बता सकता है, जहां से उसने चोरी की है। फर्द ईत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी.11 पर ए से बी स्थान पर मुल्जिम की ईत्तला व सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर है एवं ई से एफ मुल्जिम देवेन्द्र के हस्ताक्षर है। मुल्जिम देवेन्द्र द्वारा दी गई ईत्तला के अनुसरण में वह, कानि. जयदेव, जीतेन्द्र मय मुल्जिम देवेन्द्र के पुरानी छावनी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पहुंचे, जहां पर मुल्जिम की निशादेही से फर्द तस्दीक नक्शा मौका प्रदर्श पी.12 बनाया गया, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी स्थान पर मुल्जिम देवेन्द्र के, ई से एफ व जी से एच गवाहान के हस्ताक्षर है एवं आई से जे हालात नक्शा मौका अंकित है। उसी दिन मुल्जिम देवेन्द्र द्वारा उसको स्वेच्छा से ईत्तला दी कि उसने स्कूल से जो सामान चोरी किया था वह उसने अपने घर पर रख रखा है जिसे वह चलकर बरामद करा सकता है। फर्द ईत्तला धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्रदर्श पी.13 पर ए से बी स्थान पर मुल्जिम की ईत्तला व सी से डी स्थान पर उसके हस्ताक्षर एवं ई से एफ मुल्जिम देवेन्द्र के हस्ताक्षर है। मुल्जिम देवेन्द्र द्वारा दी गई ईत्तला के अनुसरण में वह, कानि. जयदेव, जीतेन्द्र मय मुल्जिम देवेन्द्र के उसके गांव भोलापुरा में उसके घर पहुंचे, जहां पर मुल्जिम ने आगे-आगे चलकर अपने रिहायशी मकान के कमरे से एक प्लास्टिक की बाल्टी, तीन थाली स्टील, एक जग स्टील, एक स्टॉप वॉच, एक बच्चों को पढाने का म्यूजिकल टॉय निकालकर अनुसंधान अधिकारी को बरामद करवाया, जो प्रकरण का माल वजह सबूत होने के कारण मौके पर ही जरिये फर्द बरामदगी पी.14 जब्त किया गया, जिस पर ए से बी स्थान पर उसके, सी से डी स्थान पर मुल्जिम देवेन्द्र के, जी से एच गवाह जीतेन्द्र, ई से एफ जयदेव के हस्ताक्षर है। प्रकरण में जब्तशुदा माल न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी पर दिया गया। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी प्रदर्श पी.15 है, सुपुर्दगीनामा प्रदर्श पी.16, सुपुर्दगी आदेश प्रदर्श पी.17 है। सम्पूर्ण अनुसंधान से मुल्जिम रामदीन व देवा उर्फ देवेन्द्र के विरूद्ध धारा 379 का अपराध प्रमाणित मानते हुए पत्रावली एस.एच.ओ. को सुपुर्द की। चार्जशीट पर ए से बी

स्थान पर एस.एच.ओ. विजयसिंह मीणा के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्तगण में** गवाह ने कथन किया कि जिस दिन एफआईआर दर्ज हुई थी उसी दिन उसे पत्रावली अनुसंधान हेतु प्राप्त हुई थी समय का आज उसे ध्यान नहीं है एवं उस दिन क्या वार था यह भी आज उसे याद नहीं है। वह तफ्तीश हेतु थाने से घटना स्थल पर गया था। उसके थाने से घटना स्थल की दूरी लगभग 04 किमी. थी। वह थाने से प्राईवेट वाहन से गये थे जो चारपहिया वाहन था उस वाहन का नंबर क्या था उसे कौन चलाकर लेकर गया था यह आज उसे याद नहीं है। वह चार पहिया वाहन बोलेरा थी, कार थी अथवा मार्शल थी यह आज उसे याद नहीं है। वह घटना स्थल पर दिनांक 09.03.2015 को गया था समय आज उसे याद नहीं है। वह उक्त प्रकरण में घटना स्थल पर दो-तीन बार गया था। दिनांक 09.03.2015 के अलावा मैं किस-किस तारीख को गये आज उसे याद नहीं है। उसने थाने पर घटना स्थल पर जाने की रवानगी व वापसी डाली थी। गवाह ने स्वीकार किया कि उक्त रवानगी व वापसी की नकल पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। दिनांक 09.03.2015 को उसे घटना स्थल पर फरियादी व स्कूल का स्टाफ मिला था। उसने प्रतिभा के बयान दिनांक 03.03.2015 को लिये थे अन्य गवाहान के बयान किस दिन व किस-किस तारीख को लिये यह आज उसे याद नहीं है। उसने जो सामान बरामद किया था वह आज न्यायालय में मौजूद नहीं है। उसने जो सामान बरामद किया था वह किस कंपनी का था व उन पर क्या नंबर थे यह आज उसे याद नहीं है। वह नहीं कह सकता कि बरामदशुदा सामान जैसा अन्य सामान बाजार से कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है या नहीं। उसने जो घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया था उसके पूर्व-पश्चिम व उत्तर-दक्षिण में क्या था आज उसे याद नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा 161 सी.आर.पी.सी. में गवाहों के जो बयान लिये गये हैं उनमें से किसी ने मुल्जिमों को उक्त सामान को चोरी करते हुए या ताला तोडते हुए नहीं देखा और ना ही ऐसा कोई बयान पत्रावली पर है। गवाह ने स्वीकार किया कि गिरफ्तारी के जो गवाह हैं वो उसके ही विभाग के कर्मचारी है। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया और ना ही स्वतंत्र गवाह ना बनने बावत कोई नोट अंकित है। एक मुल्जिम को उसने दिनांक 04.05.2015 को गिरफ्तार किया था समय का आज उसे ध्यान नहीं है। उसने मुल्जिमान की गिरफ्तारी का नक्शा मौका नहीं बनाया घटना स्थल का तस्दीक नक्शा मौका बनाया था। उसने जो सामान बरामद किया था वह कौन-कौनसे रंग का था व उसका क्या आकार था यह आज उसे याद नहीं है। उसने स्कूल का टूटा हुआ ताला जब्त नहीं किया था।

17. गवाह पी.ड.09 जयदेव सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 02.05.2015 को चौकी पचगांव पर तैनात था, उस दिन मुकदमा नंबर 49/15 धारा 379 आई पी सी मुल्जिम रामदीन को थाना हाजा पर ठाकुरदास एचसी द्वारा गिरफ्तार किया था। दिनांक 03.05.2015 को मुल्जिम रामदीन की निस्सादेई से घटना मौका स्थल बनाया गया। दिनांक 04.05.2015 को मुल्जिम

"Authenticate Document"

देश उर्फ देवेन्द्र की निशादेई से तस्दीक नक्शा मौका घटना स्थल बनाया गया।उसी दिन मुल्जिम देवा ने अपने रिहायशी मकान से स्कूल से चोरी किया हुआा सामान एक सौर्य उर्जा प्लेट, एक प्लास्टिक बाल्टी, तीन स्टील थाली, एक स्टील जगह, एक स्टॉप वॉच म्यूजिकल टॉय बरुए फर्द जब्ती जब्त किया। मुल्जिम राामदीन ने अपने मकान से एक सिलिंग फैन रवी कंपनी का बरुए फर्द जब्ती जब्त किया गया। फर्द गिरफ्तारी प्रदर्श पी.04 पर जी से एच उसके साइन है। तस्दीक नक्शा प्रदर्श पी.07 व पी.12 दोनों पर ई से एफ व जी से एच उसके साइन है। फर्द जब्ती प्रदर्श पी.12 व पी.09 पर ई से एफ उसके साइन है। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्त रामदीन में** गवाह ने कथन किया कि आज उसक याद नहीं है कि मुल्जिम थाने पर कैसे आया और किसके साथ आया था। मुल्जिम थाने पर किस समय आया आज उसे याद नहीं है। मुल्जिम को उसने सर्वप्रथम थाने के बरामदे में देखा था। आज उसे याद नहीं है कि उसके आस-पास कोई बैठा था या नहीं। गवाह ने इस सुझाव से इंकार किया कि मुल्जिम को कहीं से गिरफ्तार करके थाने पर लाये हों। गवाह ने स्वीकार किया कि उसने मुल्जिम रामदीन को गिरफ्तार किया था उस जगह का कोई नक्शा मौका नहीं बनाया। उसने रामदीन का मकान देखा है। उसके मकान में कितने कमरे बने है और उसका मुख्य दरवाजा किस दिशा में बना है आज उसे याद नहीं है। उसके मकान के आस-पास किसके मकानात हैं वह नहीं बता सकता। वह जब रामदीन के मकान पर पहुंचा, तो उसके मकान पर उसे कौन-कौन मिला यह आज उसे याद नहीं है। उसके मकान का दरवाजा खुला हुआ था या बंद था आज उसे याद नहीं है। उसने रामदीन के मकान के कोई वयनामा या रजिस्ट्री नहीं देखी और ना ही आई.ओ. ने उसे रामदीन के मकान की रजिस्ट्री दिखाई। वह रामदीन के मकान पर किस वाहन से गये व किस समय गये वह आज उसे याद नहीं है लेकिन दिनांक 03.05.2015 को गये थे। वाहन को कौन चलाकर ले गया था वह आज उसे याद नहीं है। वह जीप से या मोटरसाईकिल से गये थे यह भी आज उसे याद नहीं है। थाने से रामदीन के मकान की दूरी 30 किमी है। आज उसे याद नहीं है कि वह थाने से रपट रवानगी व वापसी डालकर गये थे या नहीं। सीलिंग फैन पर रवि लिखा हुआ था। गवाह ने स्वीकार किया कि इस तरह के सीलिंग फैन बाजार में आसानी से मिल जाते हैं और उन्हें कोई भी खरीद सकता है। **जिरह जरिये अधिवक्ता अभियुक्त देवा उर्फ देवेन्द्र में** गवाह ने कथन किया कि उसने फर्द जब्ती प्रदर्श पी.14 दिनांक 04.05.2015 को बनाई थी समय का आज उसे ध्यान नहीं है। गवाह ने स्वीकार किया कि कि प्रदर्श पी.14 में बरामदशुदा माल आज उसके सामने न्यायालय में मौजूद नहीं है। वह सौर उर्जा प्लेट की लंबाई चौडाई नहीं बता सकता। वह बाल्टी का साईज भी नहीं बता सकता। स्टॉप वॉच किस कंपनी का था व किस साईज का था आज उसे याद नहीं है। उक्त सामान मुल्जिम के मकान से जब्त किया था। गवाह ने स्वीकार किया कि मुल्जिम के मकान से संबंधित कोई दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद नहीं है। आज उसे याद नहीं है कि मुल्जिम देवा के मकान में कितने कमरे बने हुए थे उसका दरवाजा किस दिशा में था और मकान से किस कमरे से

"Authenticate Document"

यह सामान बरामद किया गया आज उसे याद नहीं है। इस सामान की बरामदगी से पहले इस मकान में कितने लोग घुसे थे और कितने लोग निकले थे आज उसे याद नहीं है। मकान के चारों दिशाओं में किस-किसके मकान है आज उसे याद नहीं है। नक्शा मौका बनाते समय भी कोई स्वतंत्र गवाह नहीं बनाया गया था।

विचारणीय बिंदु एक के संबंध में:-

18. उपरोक्त अवधारणीय बिन्दु को प्रमाणित करने के लिए अभियोजन की ओर से न्यायालय में मौखिक व प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु यह है कि विद्यालय से सामान सिलिंग पंखा, सोलर प्लेट, खाने के बर्तन, कंप्यूटर से संबंधित सामान, विज्ञान किट का सामान, टी एल एम इत्यादि सामान अभियुक्तगण द्वारा चोरी किया गया। इस संबंध में सभी गवाहान के बयानों का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष यह आया है कि गवाहान द्वारा अभियुक्तगण को सामान चोरी करते समय नहीं देखा तथा चोरी होने के अगले दिन सामान चोरी होने का पता चला था। सभी गवाहान ने अपने बयानों में कथन किया कि चोरी हआ सामान है, किस कंपनी इत्यादि का है इस संबंध में जानकारी नहीं थी। एफ आई आर में भी स्कूल का सामान सिलिंग पंखा, सोलर प्लेट, खाने के बर्तन, कम्प्यूटर से संबंधित सामान, विज्ञान किट का सामान, टी एल एम इतयादि सामान चोरी होना बताया है, परंतु उनके संबंध में उनके विशेष नंबर, उनके कंपनी या कोई विशोष चिह्न जो सामान की पहचान हो यह नहीं बताया है। गवाह पी.ड.01 प्रतिभा तौमर ने अपने बयानों में कथन किया कि स्कूल का ताला टूटा हुआ था, जब वह स्कूल पहुंची थी, सामान चोरी हो चुका था। जिरह में उक्त गवाह ने कथन किया क चोरी किन व्यक्तियों ने की थी, उनकी जानकारी नहीं है। पुलिस ने चोरी का सामान किन लोगों से बरामद किया उसे नहीं पता। चोरी का सामान किसी कंपनी का था उसे नहीं पता। चोरी हुआ सामान उसकी देख-रेख में नहीं था। इस प्रकार उक्त् गवाह के बयानों से स्पष्ट है कि चोरी का सामान उसकी देख-रेख में नहीं था, चोरी का सामान किस कंपनी का था यह भी जानकारी उसे नहीं है।

19. गवाह पी.ड.02 बालकिशन द्वारा अपने बयानों में कहा कि चोरी किया गया सामान उसके चार्ज में नहीं था और किस कंपनी का था उसे यह नहीं पता। गवाह पी.ड.03 मुन्ना द्वारा भी यह कथन किया कि चोरी हुआ सामान उसके चार्ज में नहीं था, किसी कंपनी का था उसे नहीं पता। गवाह पी.ड.05 निपूर बसवाल द्वारा यह कथन किया कि चोरी हुआ सामान किस कंपनी का था उसे नहीं पता, उसकी देख-रेख में सामान नहीं था। इस प्रकार जो स्कूल से सामान चोरी होना बताया है, उसके किसी कर्मचारी या परिवादी पक्ष के गवाह द्वारा अपने बयानों में चोरी किया गया सामान के संबंध में स्पष्ट जवाब नहीं दिया है कि सामान किस कंपनी का था या उस पर कोई विशेष चिह्न अंकित हो, या उस सामान की पहचान बाबत् कोई विशेषता नहीं बतायी है। उक्त सभी गवाहान ने अपने बयानों में यह भी कथन किया कि उनकी देख-रेख व चार्ज में वह सामान नहीं था, जिस कारण जो सामान

"Authenticate Document"

फर्द जप्ती प्रदर्श पी.14 व पी.09 पर जप्त हुए है, वह विद्यालय से चोरी हुआ ही सामान हो यह संदेह से परे साबित नहीं होता है। इन सब कारणों से अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण आरोपित अपराध से **दोषमुक्त** किये जाने योग्य है।

- आदेश -

20. अतः अभियुक्तगण **(1) रामदीन पुत्र श्री कप्तानसिंह, उम्र 20 साल, निवासी खानपुर मीणा थाना बाडी, जिला धौलपुर, (2) देवा उर्फ देवेन्द्र पुत्र श्री रामप्रकाश, उम्र 21 साल, निवासी भौलापुरा थाना बाडी, जिला धौलपुर** को धारा **379 भा.दं.सं.** के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। अभियुक्तगण के पत्रावली पर उपलब्ध हाजिरी बाबत् जमानत-मुचलके निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थिति हेतु धारा **437ए द.प्र.सं** के तहत अभियुक्त **10,000/- रूपये** की राशि का स्वयं का मुचलका व इतनी ही राशि की एक प्रतिभूति आगामी **छः माह** के लिये पेश कर तस्दीक करायें।

21. **इस प्रकरण में जब्तशुदा माल का बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे।**

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.

22. निर्णय व आदेश आज दिनांक **12.03.2026** को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुमन मीणा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
धौलपुर, राज.

"Authenticate Document" Digitally signed by DURGA MAHAWAR